

NCRPS No. 5768/2019

सं: 797-ई/पालिसी/2019/Promotion

दिनांक: 12.2019


- वरि.मंडल कार्मिक अधिकारी, उमरे, इलाहाबाद, झांसी, आगरा।  
उप मुख्य कार्मिक अधिकारी, उमरे, झांसी वर्कशॉप, झांसी।  
उप मुख्य कार्मिक अधिकारी/निर्माण, उमरे, इलाहाबाद।  
उप मुख्य वित्त सलाहकार एवं लेखा अधिकारी, उमरे, इलाहाबाद।  
वरि.कार्मिक अधिकारी, उमरे, रेल स्प्रिंग कारखाना, सिथौली।  
उप मुख्य सामग्री प्रबंधक/जी.एस.डी., उमरे, झांसी।  
उप मुख्य विद्युत इंजी., उमरे, झांसी वर्कशॉप, झांसी।  
उप मु.इंजी./टीएमसी/लाईन, उमरे, झांसी।  
उप मु.इंजी./ब्रिज/लाईन, उमरे, इलाहाबाद, झांसी, आगरा।  
उप मुख्य इंजी./सीपीओएच, उमरे, इलाहाबाद।  
उप मुख्य इंजी./सी.एस.पी., उमरे, इलाहाबाद।

Sub: 100% objective type paper for Departmental Examination-Clarification regarding negative marketing.

उपरोक्त संदर्भ के परिप्रेक्ष्य में रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या E(NG)I/2018/PM 1/4 दिनांक 14.11.2019 (RBE-194/2019) की प्रतिलिपि संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

Policy letters Circulated under NCRPS may also be downloaded from website [www.ncr.indianrailways.gov.in](http://www.ncr.indianrailways.gov.in) (About us/Department/Personnel/NCR Policy Circulars)

संलग्नक- यथोक्त।

  
(V.P.Singh)  
SPO/HQ  
For General Manager/P

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महामंत्री, एन सी आर ई एस/उमरे/इलाहाबाद।
2. महामंत्री, एन सी आर एम यू/उमरे/इलाहाबाद।

